77

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सतहत्तरवाँ प्रतिवेदन

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध

(स्वीकार नहीं किये गये)

22/12/ 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
प्रतिवेदन		1-3
परिशिष्ट-एक	आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों का सारांश दर्शाने वाला विवरण जिन पर 23 अगस्त, 2022 की बैठक में समिति द्वारा विचार किया गया।	4-6
परिशिष्ट- दो से तेरह		

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किये गये)

दो.	'राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता-2011' से संबंधित दिनांक 05.12.2019 का अ.ता.प्र. सं. 2799	7-10
तीन.	'वड़सा-गढ़चिरौली रले नेटवर्क' से संबंधित दिनांक 24.03.2021 का ता.प्र. सं. 420	11-16
चार.	'दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण' से संबंधित दिनांक 09.02.2021 का ता.प्र. सं. 110	17-22
पाँच.	(i) 'खेलकूद निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता' से संबंधित दिनांक 09.02.2017 का अ.ता.प्र. सं. 1243 (ii) 'स्वतंत्र खेलकूद विनियामक' से संबंधित दिनांक 23.03.2017 का ता.प्र. सं. 314	23-27
छह.	'लैंगिक हिंसा के पीड़ित' से संबंधित दिनांक 06.08.2021 का अ.ता.प्र. सं. 3047	28-30
सात.	'पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनयम 1960' से संबंधित दिनांक 20.07.2021 का अ.ता.प्र. सं. 327	31-32
आठ.	'हिन्दी सलाहकार समिति' से संबंधित दिनांक 16.03.2021 का अ.ता.प्र. सं. 3311	33-38

नौ.	'पत्तनों पर आव्रजन संबंधी सुविधाएँ' से संबंधित दिनांक 29.03.2022 का अ.ता.प्र. सं. 4147	39-41
दस.	'एससी और ओबीसी समुदाय द्वारा भेदभाव का सामना करना' से संबंधित दिनांक 16.03.2021 का अ.ता.प्र. सं. 3426	42-46
ग्यारह.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 23 अगस्त, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	47-55
बारह.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की 20 दिसम्बर ,2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	56-57
तेरह	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की संरचना	58

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023)*

की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री अशोक महादेवराव नेते
8. श्री संतोष पान्डेय
9. श्री एम.के. राघवन
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
13. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम. सी. गुसा - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2022 से किया गया है, देखिए दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 5363

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह 77वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 23 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 24 लंबित आश्वासनों को छोड़ने संबंधी ज्ञापन सं. 127 से 146 पर विचार किया और 10 आश्वासनों पर आगे कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) ने 20 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन के भाग हैं।

नई दिल्ली;
20 दिसम्बर, 2022
29 अग्रहायण, 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

सभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए अथवा विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्री मामले पर विचार करने, कार्रवाई करने अथवा बाद में किसी तिथि को सभा में जानकारी देने का आश्वासन, वचन देते हैं अथवा वायदा करते हैं। किसी आश्वासन को संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन माह की अवधि में कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है । यदि मंत्रालय किसी कारणवश आश्वासन को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति से उस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए और ऐसे अनुरोधों पर समिति उनके गुण- अवगुण के आधार पर विचार करती है और आश्वासन छोड़ने अथवा न छोड़ने का निर्णय लेती है।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 23 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में 24 लंबित आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों संबंधी 20 ज्ञापनों (परिशिष्ट-एक) पर विचार किया ।

3. मंत्रालयों/विभागों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद समिति निम्नलिखित 10 आश्वासनों को छोड़े जाने के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं है:-

क्रम सं	ता.प्र./अता.प्र.सं. और तिथि	मंत्रालय	विषय
1.	अता.प्र.सं. 2799 दिनांक 05.12.2019	युवा कार्यक्रम और खेल (खेल विभाग)	राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता-2011 (परिशिष्ट –दो)
2.	ता.प्र.सं. 420 दिनांक 24.03.2021	रेल	वडसा-गढ़चिरौली रेल नेटवर्क (परिशिष्ट –तीन)

क्रम सं	ता.प्र./अता.प्र.सं. और तिथि	मंत्रालय	विषय
3.	ता.प्र.सं. 110 दिनांक 09.02.2021	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)	दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण (परिशिष्ट –चार)
4.	(i) अता.प्र.सं. 1243 दिनांक 09.02.2017 (ii) ता.प्र.सं. 314 दिनांक 23.03.2017	युवा कार्यक्रम और खेल (खेल विभाग)	(i) खेलकूद निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता (ii) स्वतंत्र खेलकूद विनियामक (परिशिष्ट –पांच)
5.	अता.प्र.सं. 3047 दिनांक 06.08.2021	महिला और बाल विकास	लैंगिक हिंसा के पीड़ीत (परिशिष्ट –छह)
6.	अता.प्र.सं. 327 दिनांक 20.07.2021	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (पशुपालन और डेयरी विभाग)	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (परिशिष्ट –सात)
7.	अता.प्र.सं. 3311 दिनांक 16.03.2021	गृह	हिंदी सलाहकार समिति (परिशिष्ट –आठ)
8.	अता.प्र.सं. 4147 दिनांक 29.03.2022	गृह	पत्तनों पर आव्रजन संबंधी सुविधाएं (परिशिष्ट –नौ)
9.	अता.प्र.सं. 3426 दिनांक 16.03.2021	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)	एससी और ओबीसी समदुाय द्वारा भेदभाव का सामना करना (परिशिष्ट –दस)

4. उपर्युक्त 10 आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों तथा उत्तरों से उत्पन्न आश्वासनों का ब्यौरा परिशिष्ट दो से दस में दिया गया है।

5. समिति की 23 अगस्त, 2022 को हुई बैठक जिसमें आश्वासनों को छोड़ने संबंधी अनुरोधों पर विचार किया गया था, का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट– ग्यारह में दिया गया है ।

6. समिति चाहती है कि सरकार द्वारा परिशिष्ट–ग्यारह के अनुबंध-दो में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों को नोट किया जाए और आश्वासनों को शीघ्र पूरा करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली;

20, दिसम्बर, 2022

29, अग्रहायण, 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,

सभापति,

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)

आश्वासन को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों जिन पर समिति द्वारा 23 अगस्त, 2022 को विचार किया गया, का सारांश दिखाने वाला विवरण

क्र. सं	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	127	(i) अ.ता.प्र. सं. 727 दिनांक 03.12.2015 (ii) अ.ता.प्र. सं. 3028 दिनांक 17.12.2015	वस्त्र		(i) जूट बोरों की आपूर्ति (ii) जूट की बोरियों की आपूर्ति में घोटाला
2	128	अ.ता.प्र. सं. 2799 दिनांक 05.12.2019	युवा कार्यक्रम और खेल	खेल विभाग	राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता-2011
3	129	ता.प्र. सं. 221 दिनांक 04.08.2021 (श्री धर्मवीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न।)	रेल		रुकी पड़ी रेल परियोजनाएं
4	130	अ.ता.प्र. सं. 439 दिनांक 03.02.2021	रेल		द्रुत गामी रेललाइन
5	131	ता.प्र. सं. 420 दिनांक 24.03.2021	रेल		वड़सा-गढ़चिरौली रले नेटवर्क
6	132	ता.प्र. सं. 58 दिनांक 04.02.2021	युवा कार्यक्रम और खेल	खेल विभाग	खेल अवसंरचना
7	133	ता.प्र. सं. 110 दिनांक 09.02.2021	समाजिक न्याय और अधिकारिता	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण

क्र. सं	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
8	134	(i) अ.ता.प्र. सं. 1243 दिनांक 09.02.2017 (ii) ता.प्र. सं. 314 दिनांक 23.03.2017	युवा कार्यक्रम और खेल	खेल विभाग	(i) खेलकूद निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता (ii) स्वतंत्र खेलकूद विनियामक
9	135	(i) अ.ता.प्र. सं. 2987 दिनांक 14.03.2013 (ii) अ.ता.प्र. सं. 3025 दिनांक 16.03.2016	रेल		(i) रेलवे सुरक्षा बल (ii) बहु सुरक्षा एजेंसी
10	136	अ.ता.प्र. सं. 3047 दिनांक 06.08.2021	महिला और बाल विकास		लैंगिक हिंसा के पीड़ित
11	137	(i) अ.ता.प्र. सं. 106 दिनांक 29.11.2021 (ii) अ.ता.प्र. सं. 1341 दिनांक 06.12.2021	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	(i) सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (ii) डिजिटल मुद्रा
12	138	अ.ता.प्र. सं. 327 दिनांक 20.07.2021	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	पशुपालन और डेयरी विभाग	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनयम 1960
13	139	अ.ता.प्र. सं. 3311 दिनांक 16.03.2021	गृह		हिन्दी सलाहकार समिति
14	140	अ.ता.प्र. सं. 2549 दिनांक 10.03.2021	रेल		द्रुत गति रेल गलियारा
15	141	अ.ता.प्र. सं. 3593 दिनांक 29.07.2009	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों पर रिपोर्ट

क्र. सं	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
16	142	दिनांक 13.02.2021 को बजट पर सामान्य चर्चा	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	बजट पर सामान्य चर्चा
17	143	अ.ता.प्र. सं. 4147 दिनांक 29.03.2022	गृह		पत्तनों पर आव्रजन संबंधी सुविधाएँ
18	144	अ.ता.प्र. सं. 4319 दिनांक 22.03.2021	वित्त	राजस्व विभाग	पंजाब को लंबित निधि जारी करना
19	145	ता.प्र. सं. 449 दिनांक 04.04.2022 (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न।)	शिक्षा	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	आरक्षित श्रेणियों के छात्रों हेतु छात्रवृतियाँ
20	146	अ.ता.प्र. सं. 3426 दिनांक 16.03.2021	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	एस सी और ओ बी सी समुदाय द्वारा भेदभाव का सामना करना

परिशिष्ट- दो

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

ज्ञापन सं. 128

विषय: 'राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता-2011' विषय से संबंधित दिनांक 05.12.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 2799 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

05 दिसम्बर 2019 को श्री एन. रेडप्पा और कुछ अन्य संसद सदस्यों ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से "राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता-2011" विषय से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 2799 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 08 अक्तूबर, 2020 के का.ज्ञा.फा. सं. एच-11016-24/2019-एसपी-III के माध्यम से इस आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है:-

"देश में विद्यमान खेल शासन ढांचे, खेल शासन से संबंधित हाल में हुए विकास, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं आदि का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए 2017 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की सिफारिश की।

इस विभाग ने दिनांक 26.11.2019 के अपने आदेश के माध्यम से खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की समीक्षा करने और उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया ताकि सरकार और सभी हितधारकों के बीच समन्वय और पारदर्शिता और जवाबदेही और एनएसएफ की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित हो सके।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 06.12.2019 के आदेश के माध्यम से उक्त आदेश दिनांक 26.11.2019 पर रोक लगा दी है जिसके द्वारा इस समिति का गठन खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की समीक्षा के लिए किया गया था। इसलिए, यह बताना कठिन होगा कि समिति की सिफारिशों पर निर्णय किस समय तक लिया जाएगा।"

4. समिति द्वारा 19 जनवरी 2021 को हुई अपनी बैठक में आश्वासन छोड़ने के उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। तदनुसार, समिति ने 03 अगस्त, 2021 को अपना 47वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और मंत्रालय को मामले पर पुरजोर कार्रवाई करने और इस मुद्दे को इसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाने की सिफारिश की।

5. हालाँकि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) ने का.ज्ञा.एफ.सं. एच-11016-24/2019-एसपी-III दिनांक 01 जून, 2021 के माध्यम से निम्नानुसार कहा है:-

"देश में मौजूदा खेल प्रशासन ढांचे, खेल शासन से संबंधित हालिया विकास, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं आदि का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए 2017 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के मसौदे की सिफारिश की।

इस विभाग ने दिनांक 26.11.2019 के अपने आदेश के माध्यम से खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की समीक्षा करने और उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया ताकि सरकार और सभी हितधारकों के बीच समन्वय और पारदर्शिता और जवाबदेही और एनएसएफ की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित हो सके।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 06.12.2019 के आदेश के माध्यम से उक्त आदेश दिनांक 26.11.2019 पर रोक लगा दी है जिसके द्वारा इस समिति का गठन खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की समीक्षा के लिए किया गया था।

न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण समिति की सिफारिशों पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। इस संबंध में, यह

उल्लेख करना भी उचित है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011, जिसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों के कार्यकरण में सुशासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, वर्तमान में लागू है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से समिति से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 16/08/2022
नई दिल्ली:

अनुबन्ध

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2799

उत्तर देने की तारीख 5 दिसम्बर, 2019

14 अग्रहायण, 1941 (शक)

राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता-2011

2799. श्री एन. रेड्डप्पः

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसेः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता 2011 का उल्लंघन करने वाली खेल अकादमियों और संगठनों को निधि आवंटित नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार हेतु 2017 में विरचित प्रारूप राष्ट्रीय खेल संहिता पर भारतीय ओलंपिक संघ से फीडबैक मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएसडीसीआई) के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है । आंध्र प्रदेश में अकादमियों सहित अकादमियां और राज्य स्तर के खेल निकाय एनएसडीसीआई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं । राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत सहायता का पात्र होने के लिए सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को खेल विभाग में अपनी मान्यता को बनाए रखना आवश्यक है ।

(ग) सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप पर भारतीय ओलंपिक संघ और विभिन्न मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों से उनके हितधारक होने के कारण टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं । इसके फलस्वरूप हितधारकों से परामर्श करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ।

****

परिशिष्ट- तीन

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 131

विषय: "वड़सा-गढ़चिरौली रले नेटवर्क" सम्बंधी दिनांक 24.03.2021 के तारांकित प्रश्न सं. 420 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

*****

दिनांक 24 मार्च 2021 को श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य ने "वड़सा-गढ़चिरौली रले नेटवर्क" के संबंध में रेल मंत्री से तारांकित प्रश्न सं. 420 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, रेल मंत्री ने अपने दिनांक 24 जनवरी, 2022 के का.ज्ञा.सं. 2018/डब्ल्यू-II/एससीआर/पीक्यूएल/57(एफटीएस-3371748) के माध्यम से निम्नवत बताया है:-

"वडसा-गढ़चिरौली (52.36 किलोमीटर) परियोजना को 229 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पिंक बुक 2011-12 में शामिल किया गया था। यह परियोजना लागत में साझेदारी के आधार पर है महाराष्ट्र सरकार को परियोजना की 50% लागत वहन करनी है। परियोजना की अनुमानित लागत 1096 करोड़ रुपये है और अब तक परियोजना पर 42 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस परियोजना के लिए 11 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है।

चूंकि महाराष्ट्र सरकार परियोजना की 50% लागत वहन करती है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार से परियोजना की संशोधित लागत (संशोधित लागत ₹1096 करोड़) के 50% को वहन करने की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है। अभी राज्य सरकार से पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

परियोजना के लिए वन विभाग की स्वीकृति मिलने में अत्यधिक देरी हो रही है। राज्य वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के परामर्श से महंगे शमन उपायों का सुझाव दिया है, जिसके कारण परियोजना की लागत 860.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 1096 करोड़ रुपये हो गई है।

रेलवे ने अपनी ओर से कार्रवाई की है। भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की स्वीकृति के लिए आगे की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जानी है, जो रेलवे के नियंत्रण से बाहर है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से समिति से इस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत ।

दिनांक:- 16/08/2022

नई दिल्ली:

अनुलग्नक

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.03.2021 के
तारांकित प्रश्न सं. 420 का उत्तर

वड़सा-गढ़चिरौली रेल नेटवर्क

*420. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय के 2011-12 के बजट में गढ़चिरौली, जो महाराष्ट्र में जनजातीय बहुल एवं सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में एक जिला मुख्यालय है, को वड़सा-गढ़चिरौली रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु कोई प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वड़सा-गढ़चिरौली रेल लाइन के निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं तथा उक्त निर्माण कार्य कब तक आरंभ एवं पूर्ण किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

वडसा-गढ़चिरौली रेल नेटवर्क के संबंध में दिनांक 24.03.2021 को लोक सभा में श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.420 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी हां। वडसा-गढ़चिरौली (52.36 कि.मी.) नई रेल लाइन परियोजना को 229 करोड़ रु. की सार लागत पर पिंक बुक 2011-12 में शामिल किया गया था। यह परियोजना लागत में हिस्सेदारी के आधार पर शुरू की गई है जिसमें परियोजना की 50 प्रतिशत लागत महाराष्ट्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 1096 करोड़ रु. है। परियोजना पर अभी तक 42.07 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और वित्त वर्ष 2021-22 में इस परियोजना के लिए 11 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्य जीव क्लीयरेंस संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस परियोजना में 133.73 हेक्टेयर राजस्व भूमि और 71.72 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण शामिल है। अभी तक केवल 13.13 हेक्टेयर राजस्व भूमि (सरकारी भूमि) ही सौंपी गई है और शेष 120.60 हेक्टेयर (90 प्रतिशत) राजस्व भूमि का भूमि अधिग्रहण अभी लंबित है। 71.72 हेक्टेयर भूमि का सैद्धांतिक अनुमोदन अप्रैल 2019 में प्रदान कर दिया गया था परन्तु चरण-।। का अनुमोदन और कार्य करने की अनुमति अभी प्रतीक्षित है। परियोजना के लिए वानिकी क्लीयरेंस प्रदान करने में भी अत्यधिक विलंब हो रहा है। राज्य वन विभाग द्वारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन एजेंसी के परामर्श से खर्चों को कम करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि इससे परियोजना की लागत 860.92 करोड़ रु. से बढ़कर 1096 करोड़ रु. हो गई है।

चूंकि परियोजना की 50 प्रतिशत लागत महाराष्ट्र सरकार द्वारा वहन की जानी है इसलिए महाराष्ट्र सरकार से परियोजना की 50 प्रतिशत संशोधित लागत (कुल संशोधित लागत 1096 करोड़ रु.) की हिस्सेदारी की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसकी पुष्टि अभी की जानी है।

अभी तक, महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना में उनके हिस्से के केवल 10 करोड़ रु. जमा कराए गए हैं।

लंबित भूमि अधिग्रहण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा जमा न कराने के कारण महाराष्ट्र सरकार में रेल परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) 9,305 करोड़ रु. लागत की कुल 661 कि.मी. लंबाई की 4 नई लाइन परियोजनाएं 929 हेक्टेयर राजस्व भूमि का भूमि अधिग्रहण न होने और 173 हेक्टेयर वन भूमि की वानिकी क्लीयरेंस न मिलने के कारण प्रभावित हो रही हैं और 5,411 करोड़ रु. लागत की कुल 496 कि.मी. लंबाई की रतलाम-महौ-अकोला-खंडवा 01 आमान परिवर्तन परियोजना प्रभावित हो रही है, क्योंकि राज्य वन्य जीव बोर्ड, महाराष्ट्र द्वारा परियोजना के अमलखुर्द-अकोट खंड में पड़ने वाली मेलघाट टाइगर रिज़र्व में 32 हेक्टेयर वन भूमि का वन्य जीव क्लीयरेंस प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को अग्रेषित नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार, 18,511 करोड़ रु. लागत की कुल 2057 कि.मी. लंबाई की 12 दोहरीकरण परियोजनाएं 424 हेक्टेयर राजस्व भूमि का भूमि अधिग्रहण न होने और 53 हेक्टेयर वन भूमि की वानिकी क्लीयरेंस न मिलने के कारण प्रभावित हो रही हैं।

(ii) महाराष्ट्र सरकार की लागत में भागीदारी की 3 नई लाइन परियोजनाओं (अहमदनगर-बीड-परली: 348 करोड़ रु., वर्धा-नांदेड़: 190 करोड़ रु.; वर्धा-गढ़चिरौली: 10.81 करोड़ रु.) पर कुल 549 करोड़ रु. की राशि बकाया है।

(ग) और (घ): रेलवे द्वारा वडसा के यार्ड के ढांचे में परिवर्तन का कार्य जुलाई 2017 में पूरा कर दिया गया है और परियोजना की संशोधित लागत के 50 प्रतिशत हिस्से की महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने और महाराष्ट्र सरकार द्वारा रेलवे को अपेक्षित अवरोधमुक्त भूमि सौंपे जाने के बाद ही अगले कार्य शुरू किए जाएंगे।

(ङ.): किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परस्थितियों के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य

के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, परियोजना को पूरा करने के लिए फिलहाल निश्चित समय-सीमा का पता नहीं लगाया जा सकता है। बहरहाल, परियोजना को शीघ्रता पूरा करने के लिए रेलवे हरसंभव प्रयास कर रही है।

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों पर 2014-19 के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन 2009-14 के दौरान 1171 करोड़ रु. प्रति वर्ष से बढ़कर 4801 करोड़ रु. प्रति वर्ष हो गया है। इस प्रकार 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन की तुलना में 310% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में इन परियोजनाओं के लिए 7,107 करोड़ रु. के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जो 2009-14 के औसत वार्षिक परिव्यय से 507% अधिक है।

2014-19 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली 596 कि.मी. परियोजना लंबाई (87 कि.मी. नई लाइन, 92 कि.मी. आमान परिवर्तन और 417 कि.मी. दोहरीकरण) को यातायात के लिए चालू कर दिया गया है, जो 2009-14 (292 कि.मी.) के दौरान यातायात के लिए चालू की गई लाइनों की तुलना में 104% अधिक है। 2019-20 में, महाराष्ट्र में राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली 183 कि.मी परियोजना लंबाई (183 कि.मी. दोहरीकरण) को यातायात के लिए चालू कर दिया गया है, जो 2009-14 (58.4 कि.मी. प्रति वर्ष) के दौरान यातायात के लिए चालू की गई लाइनों के वार्षिक औसत की तुलना में 213% अधिक है।

*****

परिशिष्ट - चार

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 133

विषय: "दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण" विषय से संबंधित दिनांक 09.02.2021 के तारांकित प्रश्न सं. 110 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

09 फरवरी, 2021 को डॉ. सुभाष रामराव भामरे और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, संसद सदस्यों ने समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) से "दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण" विषय के संबंध में तारांकित प्रश्न सं. 110 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) (दिव्यांगजन) ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के का.ज्ञा. सं. 01/02/2021-स्किल के माध्यम से निम्नवत बताया है:-

> "श्रम एवं अधिकारिता मंत्रालय से दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र (दिव्यांगजनों के लिए एनसीएससी) को इस विभाग के पास अंतरित करने के प्रस्ताव की मंत्रिमंडल सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है और दिव्यांगजनों के लिए एनसीएससी को इस विभाग को अंतरण की पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में इस मामले के संबंध में इस विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई लंबित नहीं है और इस प्रक्रिया में समय लग सकता है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से समिति से इस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांक:- 16/08/2022

नई दिल्ली:

अनुबन्ध -

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *110
उत्तर देने की तारीख : 09.02.2021

दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण

*110. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कौशल प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए दिव्यांग व्यक्तियों की विशेषकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या दिव्यांगों का कौशल प्रशिक्षण कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को आमंत्रित कर रही है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन प्रशिक्षण भागीदारों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है; और

(च) सरकार द्वारा दिव्यांगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण हेतु और अधिक संख्या में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. थावरचंद गेहलोत)

उत्तर: (क) से (च) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

डॉ सुभाष रामराव भामरे और श्रीमति सुप्रिया सुले द्वारा पूछे गए दिनांक 09.02.2021 को उत्तरार्थ "दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण" के बारे में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 110 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित ब्यौरा।

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग "दिव्यांगजन के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)" का कार्यान्वयन करता है, जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सामान्य मानदंड दिशानिर्देशों के अनुसार एनएपी का कार्यान्वयन "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)" – अम्ब्रेला योजना के तहत किया जाता है। यह देशभर में लागू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसके तहत सरकारी और गैर- सरकारी संगठनों (एनजीओ) पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के नेटवर्क के साथ-साथ विभाग के नैशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) जैसे संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

योजना के तहत दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल प्रशिक्षण के संबंध में निधियां जारी करना 2016-17 से शुरू हुआ, क्योंकि प्रारंभिक वर्ष प्रशिक्षण भागीदारों के पैनलबद्धता के लिए समर्पित था। विगत तीन वर्ष (2017-18 से 2019-20) के दौरान की महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण <u>अनुबंध 'क'</u> में दिया गया है। दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) जिनके संबंध में निधियां जारी की गई हैं।

(ख): विगत तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल प्रशिक्षण के लिए पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. संख्या	वर्ष	जारी की गई राशि (रूपए करोड़ में)
1.	2017-18	82.2
2.	2018-19	44.65
3.	2019-20	4.32

(ग) से (ड.): जी हां। यह सत्य है कि कोविड-19 महामारी ने दिव्यांगजनों का कौशल प्रशिक्षण बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण विभाग के कुछ ईटीपी द्वारा मार्च 2020 में शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा नहीं किया जा सका, जबकि कुछ अन्य ईटीपी ऐसे हैं जो प्रशिक्षण आरंभ करने की योजना बनाई थी परंतु वे इन्हें आरंभ ही नहीं कर सके।

प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित करने की अनुमति 21 सितम्बर, 2020 तक नहीं दी गई थी। तत्पश्चात् यद्धपि प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई है, परंतु यह अनुमति यह केवल नॉन-कंटेनमेंट क्षेत्रों के लिए है और वह भी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार होनी चाहिए, जिसके तहत उचित सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाए रखना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण केन्द्रों की कुल क्षमता में कमी आई है जो सामान्य क्षमता लगभग आधा हो गई है।

विभाग ने महामारी के कारण सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सहित विभिन्न कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं :

(i) ईटीपी को बलेंडिड मोड में प्रशिक्षण संचालित करने की अनुमति दी गई है जिसके तहत यथासंभव पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के अनुसार यथासंभव प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रदान किया जाता है और प्रैक्टिकल ऑफलाइन/भौतिक (फिजिकल) मोड में संचालित किया जाता है। ईटीपी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए मामले दर मामले विचार कियाजाता है।

(ii) विभाग दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर रहा है।

(iii) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी विकसित की जा रही है जो संगठन को पैनलबद्धता और ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण देने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी।

(iv) दिव्यांगजन कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) को प्रशिक्षण पूरा हो जाने के पश्चात दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) का ऑनलाइन मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है ।

(v) एससीपीडब्ल्यूडी एनएपी के तहत केंद्र के निरीक्षण के लिए एक विशेष ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित की है और साथ ही प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं (टीओटी और टीओए) के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) विकसित किया है।

(vi) ऐसे प्रशिक्षण भागीदारों, जिनकी विभाग के साथ पैनलबद्धता की वैधता समाप्त हो गई है, उनकी वैधता को कतिपय शर्तों पर आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है ।

(च): जी नहीं। विभाग के एनएपी के तहत ईटीपी के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है और विभाग द्वारा अपने कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। क्षेत्र कौशल परिषदों (सेक्टर स्किल काउंसिल्स) और राज्य कौशल विकास मिशनों को कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के रूप में शामिल करते हुए प्रशिक्षण भागीदारों के आधार को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तथापि, एनएचएफडीसी, जो विभाग का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) है, ने प्रायोगिक स्तर पर एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र (एनएसके) की अवधारणा आरंभ की है और इसकी आकांक्षा है कि इसे एक बड़ी योजना में बदल दिया जाए। इसके तहत आरंभ में देश के प्रत्येक जिले में एक एनएसके स्थापित किया जाएगा। एनएचएफडीसी ने पहले ही 10 एनएसके स्थापित कर दिए है जो (04 उत्तर प्रदेश), (03 मध्य प्रदेश) और (03 हरियाणा) में हैं। इन एनएसके का स्वामित्व एनएचएफडीसी से ऋण सहायता के माध्यम से दिव्यांग उधमियों के पास होता है और इन्हें प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एनएचएफडीसी फाउंडेशन के माध्यम से हैंडहोल्डिंग सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड (एनसीएससी-डीए) (पूर्ववर्ती व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र/वीआरसी) को श्रम और रोजगार मंत्रालय से ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में 21 कार्यरत वीआरसी हैं तथा तीन और स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। वीआरसी का विवरण <u>अनुबंध 'ख'</u> पर दिया गया है।

अनुबंध 'क'

डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए ईटीपी को पिछले तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिव्यांगजनों की संख्या (पहली किश्त)		
		2017-18	2018-19	2019-20
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	120	165	0
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	0	120	0
5	बिहार	0	0	0
6	चंडीगढ	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	3690	0	201
8	दादर व नगर हवेली और दमन व दीव	0	0	0
9	गोवा	0	0	0
10	गुजरात	500	0	0
11	हरियाणा	390		0
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
13	जम्मू एवं कशमीर	0	0	0
14	झारखंड	0	0	0
15	कर्नाटक	0	0	0
16	केरल	20		0
17	लद्दाख	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	580		0
20	महाराष्ट्र	763	2267	0
21	मणिपुर	400		0
22	मेघालय	0	0	0
23	मिजोरम	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0
25	दिल्ली	32050	44380	60
26.	ओडिशा	0	0	210
27	पुडुचेरी	0	0	0
28	पंजाब	1000	0	0
29	राजस्थान	500	0	0
30	सिक्किम	0	0	0
31	तमिलनाडु	3430	140	385
32	तेलंगाना	300	1585	0
33	त्रिपुरा	0	0	0
34	उत्तराखंड	0	0	0
35	उत्तर प्रदेश	3270	386	0
36	पश्चिम बंगाल	8960	480	578
37	कुल	55973	49523	1434

टिप्पणी: पात्रता मानदंड पूरे करने वाले ईटीपी से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के आधार पर निधि जारी की जाती है। यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों के ईटीपी को निधियां जारी नहीं की गई हैं, जबकि कई ईटीपी हैं जिनके विभिन्न राज्यों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र हैं और देशभर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

अनुबंध 'ख'

दिव्यांगजनों के लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर / व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र

(वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीए के लिए एनसीएससी
1	असम	गुवाहाटी
2	बिहार	पटना
3	दिल्ली	नई दिल्ली (कड़कड़डूमा)
4	गुजरात	अहमदाबाद
5	गुजरात	वडोदरा (महिलाओं के लिए)
6	हिमाचल प्रदेश	ऊना
7	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
8	झारखंड	रांची
9	कर्नाटक	बंगलौर
10	केरल	त्रिवेंद्रम
11	मध्य प्रदेश	जबलपुर
12	महाराष्ट्र	मुंबई
13	ओडिशा	भुवनेश्वर
14	पुडुचेरी	पुडुचेरी
15	पंजाब	लुधियाना
16	राजस्थान	जयपुर
17	तमिलनाडु	चेन्नई
18	तेलंगाना	हैदराबाद
19	त्रिपुरा	अगरतला
20	उत्तर प्रदेश	कानपुर
21	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
22	मेघालय	शिलांग *
23	नागालैंड	दीमापुर *
24	उत्तराखंड	देहरादून *

* स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक केंद्र में 8 पद स्वीकृत हैं।

*****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

ज्ञापन सं. 134

विषय: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए आश्वसनों को छोड़ने का अनुरोध:

(i) 'खेलकूद निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता' विषय से संबंधित दिनांक 09 फरवरी, 2017 के अतारांकित प्रश्न सं. 1243 (अनुबंध- एक); और

(ii) 'स्वतंत्र खेलकूद विनियामक' विषय से संबंधित दिनांक 23 मार्च, 2017 के तारांकित प्रश्न सं. 314 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध (अनुबंध- दो)।

श्री कीर्ति आजाद, श्री आर. ध्रुवनारायण और श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी संसद सदस्यों ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से उपर्युक्त प्रश्न पूछे। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर अनुबंध-1 और 2 में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तरों को आश्वासन माना गया था तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं।

3. इस संबंध में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने अपने दिनांक 18 जनवरी, 2022 के का.ज्ञा. सं. 11016-24/2017-एसपी-I/एसपी-III और का.ज्ञा. सं. एच-11016-35/2016-एसपी-I/एसपी-III के माध्यम से निम्नवत बताया:-

"2017 में, देश में मौजूदा खेल शासन ढांचे, खेल प्रशासन से संबंधित नए विकास, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं आदि का अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने खेलों में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की सिफारिश की।

दिनांक 26.11.2019 के आदेश के माध्यम से इस विभाग ने खेलों में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की समीक्षा करने और उपायों का सुझाव देने के लिए एक

समिति का गठन किया ताकि सरकार और सभी हितधारकों के बीच तालमेल हो सके और पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता और एनएसएफ की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाया जा सके।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.12.2019 के अपने आदेश के माध्यम से दिनांक 26.11.2019 के उपर्युक्त आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत इस समिति का गठन खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की समीक्षा के लिए किया गया था।

न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण समिति की सिफारिशों पर किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों के कामकाज में सुशासन की प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 लागू है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासनों को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

नई दिल्ली

दिनांक: 16/08/2022

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1243

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2017
20 माघ, 1938 (शक)

खेलकूद निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता

1243. श्री कीर्ति आजादः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलंब या गैर-कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की जानकारी है और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के संबंध में उच्चतम न्यायालय के क्या निदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का सभी खेलकूद निकायों को उनके कार्यकरण में जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देश में विभिन्न खेलकूद निकायों में कार्यकरण/ कथित कुप्रबंधन को सुचारू बनने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री विजय गोयल)

(क) और (ख): भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संचालन और कार्यकरण से संबंधित मामलों की जांच के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर दिनांक 18.07.2016 को आदेश पारित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए शीर्ष न्यायालय ने अंतरिम निकाय के रूप में प्रशासकों की एक समिति गठित की है और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

(ग) और (घ): सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 लागू होने के बाद के सभी घटनाक्रम की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया है। मामले में कोई कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

अनुलग्नक - दो

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 314

उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2017

2 चैत्र, 1939 (शक)

स्वतंत्र खेलकूद विनियामक

314. श्री आर॰ ध्रुवनारायणः

श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डीः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खेलकूद निकायों के कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में खेलकूद में सुशासन और पारदर्शिता के स्तर में सुधार लाने के लिए एक स्वतंत्र खेलकूद विनियामक की स्थापना करने का है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में संसाधनों के बेहतर और प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न खेलकूद संघों की जवाबदेही बढ़ाने तथा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री विजय गोयल)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

स्वतंत्र खेलकूद विनियामक के संबंध में श्री आर. ध्रुवनारायण और श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी द्वारा दिनांक 23.3.2017 के लिए पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 314 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): भारत सरकार ने देश में खेलों के स्वस्थ विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु 31.01.2011 से प्रभावी भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएसडीसीआई) को अधिसूचित किया है। इस संहिता के अनुसार, एनएसएफ को उपयुक्त लोकतांत्रिक और निष्पक्ष प्रबंधन पद्धतियों का पालन करना आवश्यक है जिसमें उनसे अपेक्षित है कि वे अन्य के साथ सभी स्तरों पर अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता; निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाना; पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल संबंधी सीमा का पालन; खेलों में उत्तम सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना और उनका पालन करना जिन्हें कि अंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रक्रियाओं और ओलंपिक चार्टर से लिया गया है और इन्हें विधिवत रूप से संहिता में शामिल किया गया है; सभी स्तरों पर लेखा संबंधी उपयुक्त प्रक्रियाएं अपनाना और वार्षिक वित्तीय विवरण देना; आयु धोखाधड़ी और महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना; सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना और सरकार द्वारा जारी आदर्श चुनाव दिशानिर्देशों के अनुसार चुनाव कराना।

आईओए सहित सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए एनएसडीसीआई, 2011 का अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में सरकार द्वारा ऐसे राष्ट्रीय खेल परिसंघों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जिनमें निलंबन/ मान्यता रद्द करना/ वार्षिक मान्यता को बहाल न करना आदि शामिल है। तदनुसार, ऐसे राष्ट्रीय खेल परिसंघ सरकारी स्कीमों से वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य या देश में अपने से संबंधित खेल को विनियमित करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

अनेक न्यायिक निर्णयों सहित खेलों में उत्तम सुशासन से संबंधित हाल ही की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सचिव (खेल), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता, ओलंपियन, एक अंतरराष्ट्रीय स्तरीय कोच, एक वकील, एक मीडिया का व्यक्ति और खेल प्रशासक शामिल होंगे जो कि एनएसडीसीआई, 2011 के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेंगे और इस संबंध में उत्तम सुशासन ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सिफारिश करेंगे।

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. **136**

विषयः 'लैंगिक हिंसा के पीड़ित' विषय से संबंधित दिनांक 06.08.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 3047 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

-----

06 अगस्त, 2021 को श्री वी. के. श्रीकंदन, संसद सदस्य ने महिला और बाल विकास मंत्री से 'लैंगिक हिंसा के पीड़ित' विषय से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 3047 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 03.03.2022 के का.ज्ञा. सं. डब्ल्यूडब्ल्यू-15011/40/2021-डब्ल्यूडब्ल्यू (ई-47818)के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"निर्भया फंड फ्रेमवर्क के तहत अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने 28.04.2021 और 30.09.2021 को आयोजित अपनी बैठकों में विदेश मंत्रालय के एक प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है, जिसका नाम 'विदेशों में 10 भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलने का प्रस्ताव' है, जिसकी लागत 5 साल की अवधि के लिए 40.79 करोड़ रूपए है जो उपयुक्त बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता और सभी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है।

2. इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि निर्भया फ्रेमवर्क के अनुसार, ईसी द्वारा परियोजना/योजना का मूल्यांकन किए जाने के बाद संबंधित मंत्रालय/विभाग सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) का अनुमोदन प्राप्त करते हैं। सीएफए के अनुमोदन के बाद, संबंधित मंत्रालय/विभाग निर्भया निधि के अंतर्गत बजट प्रावधान करने के लिए अपने विभागीय विस्तृत अनुदानों की मांगों (डीडीजी) में बजट प्रावधान करने के लिए बजट प्रभाग (आर्थिक कार्य विभाग), वित्त मंत्रालय के साथ इस प्रस्ताव को उठाते हैं ताकि योजना के कार्यान्वयन के लिए सीधे या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों के

माध्यम से निधियां जारी की जा सकें। उक्त प्रक्रिया को पूरा करने में काफी समय लगेगा जो आश्वासन की पूर्ति के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक हो सकता है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 16.08.2022
नई दिल्ली

अनुबंध

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3047
दिनांक 06 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

लैंगिक हिंसा के पीड़ित

3047. श्री वी.के. श्रीकंदन :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार लैंगिक हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए दुनिया भर में 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि प्रवासी भारतीय महिलाओं से बड़ी संख्या में मिली शिकायतों के मद्देनजर यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया जा रहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : पूरे विश्व में स्थित भारतीय मिशनों में जेंडर आधारित हिंसा के उत्तरजीवियों सहित विपदाग्रस्त भारतीय महिलाओं की मदद के लिए प्रावधान है। तथापि ऐसी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निर्भया निधि की रूपरेखा के तहत अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की तर्ज पर बहरीन, कुवैत, ओमान (मस्कट), कतर (दोहा), यूएई (दुबई), सऊदी अरब (जेद्दाह और रियाद) जैसे देशों में जहां भारतीय प्रवासियों की संख्या काफी है, और आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कनाडा (टोरन्टो) में मिशनों/पोस्टों में सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है।

****

परिशिष्ट- सात

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 138

विषयः "पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनयम 1960" विषय से संबंधित दिनांक 20.07.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 327 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

20 जुलाई, 2021 को श्री के. सुधाकरण, संसद सदस्य ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से "पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनयम 1960" विषय के संबंध में अतारांकित प्रश्न सं. 327 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिया गया हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) ने दिनांक 21 फरवरी, 2022 के का.ज्ञा. सं. एच-11016/14/2021- एएनएलएम डीएडीएफ के माध्यम से निम्नवत बताया है:-

> "कि मंत्रालय ने प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है और इस प्रश्न के माध्यम से कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। सदन में प्रस्तुत किया गया प्रश्न आर्डर में था।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से इस आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांकः- 16/08/2022

नई दिल्ली

अनुबंध

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 327
दिनांक 20 जुलाई, 2021 के लिए प्रश्न

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960

327. श्री के. सुधाकरन:
क्या **मत्स्यपालन और पशुपालन डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार को "पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960"(पीसीए अधिनियम) में संशोधन की मांग वाली याचिकाएं प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख)क्या सरकार इस राय से सहमत है कि पीसीए अधिनियम में निर्धारित दंड न्यूनतम है और निवारक के रूप में कार्य नहीं करते है;

(ग)क्या सरकार दंड को बढ़ाने के लिए पीसीए अधिनियम में संशोधन करने और निर्धारित दंडों को संशोधित करने पर विचार कर रही है;

(घ)क्या सरकार अधिनियम की धारा 11(1) (क) से 11 (1) (ण) और धारा 38 में संशोधन करने पर विचार कर रही है जो अधिनियम के तहत अपराधों की संज्ञानता को मान्यता देता है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) जी, हां। सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों से पशुओं के प्रतिक्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में मौजूदा दंडों को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में सुझाव, याचिकाएं और अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ड.) सरकार ने और अधिक कठोर दंडों को शामिल करके पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन की आवश्यकता को माना है। तैयार किए गये मसौदा संशोधन में आर्थिक दंड और सजा के प्रावधानों को बढ़ाने समेत अधिनियम की धारा 11 और धारा 38 में संशोधन करना शामिल है।

******

परिशिष्ट- आठ

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 139

विषय: "हिन्दी सलाहकार समिति" से संबंधित दिनांक 16.03.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 3311 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 16 मार्च 2021 को श्री एस॰ सी॰ उदासी, कुमारी प्रतिभा भौमिक और श्री सुमेधानन्द सरस्वती, संसद सदस्यों ने गृह मंत्री से "हिन्दी सलाहकार समिति" से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 3311 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा गृह मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 06 अप्रैल, 2022 के का.ज्ञा. संख्या 21013/03/2021-ओ॰एल॰(नीति) के माध्यम से निम्नवत् बताया है:-

> "कि आश्वासन की पूर्ति के लिए 48 हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया गया है और 03 मंत्रालयों/विभागों ने भी जल्द से जल्द हिंदी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में पत्र भेजे हैं। इसलिए 56 में से 51 अर्थात 91% हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस विषय पर जल्द ही राजभाषा विभाग द्वारा कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (ए एम)के अनुमोदन से समिति उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांक: 16/08/2022

नई दिल्ली

अनुबंध-II

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3311

दिनांक 16/03/2021/25 फाल्गुन,1942 (शक) को उत्तर के लिए

हिन्दी सलाहकार समिति

†3311. श्री एस. सी. उदासी:

कुमारी प्रतिमा भौमिक:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा के प्रावधान के अनसुार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सभी मंत्रालयों को एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन करना होता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक गठित ऐसी समितियों का ब्यौरा क्या है और इनके सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा पिछली बार मंत्रालय-वार किन तिथियों को बैठक की गई थी;

(ग) किसी केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा उक्त समिति का गठन न किए जाने की दशा में इसके लिए उत्तरदायी क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) : जी हाँ महोदय,दिनांक 02.12.1987 को हुई केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सरकार की राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से जिन विभागों के अधीन कार्यालय/उपक्रमों की संख्या काफी है उनमें हिंदी सलाहकार समितियां बनाई जाएं।

(ख) और (ग) :56 हिंदी सलाहकार समितियों का विवरण अनुलग्न पर है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद, 10 हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया गया है, 19 हिंदी हिंदी सलाहाकार समितियों का प्रस्ताव विचाराधीन है और शेष में पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल समान्यतः 3 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(घ) : राजभाषा विभाग हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन और उसकी नियमित बैठकों के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए राजभाषा संबंधी निर्देशों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन और उसकी बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है

******

अनुलग्नक

"हिंदी सलाहकार समिति" के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3311के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पुनर्गठित

क्रं.	मंत्रालय/विभागका नाम	बैठक की तारीख
1	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय	05.01.2021
2	संसदीय कार्य मंत्रालय	12.01.2021
3	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा निशक्त जन कार्य विभाग कीसंयुक्त समिति	बैठक आयोजित नहीं की गई है।
4	उपभोक्ता मामले विभाग	-वही-
5	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	-वही-
6	अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त समिति	-वही-
7	नागर विमानन मंत्रालय	-वही-
8	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-वही-
9	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय	-वही-
10	रेल मंत्रालय	-वही-

प्रस्ताव विचारधीन

क्रं.	मंत्रालय/विभागका नाम
1	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
2	खान मंत्रालय
3	कोयला मंत्रालय
4	पर्यटन मंत्रालय
5	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
6	शिक्षा मंत्रालय
7	श्रम और रोजगार मंत्रालय
8	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
9	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कीसंयुक्त समिति
10	स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय की संयुक्तसमिति
11	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अनुलग्नक

"हिंदी सलाहकार समिति" के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3311के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

12	गृह मंत्रालय
13	नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
14	उर्वरक विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग तथा औषध विभाग कीसंयुक्त समिति
15	पैट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय
16	संस्कृति मंत्रालय
17	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
18	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
19	सूचना और प्रसारण मंत्रालय

पुनर्गठन प्रक्रियाधीन

क्रं.	**मंत्रालय/विभागका नाम**
1	राजस्व, व्यय,विनिवेशएवं लोक परिसंपति प्रबंधन विभाग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय की संयुक्त समिति
2	ग्रामीण विकास मंत्रालय
3	डाक विभाग
4	दूरसंचार विभाग
5	रक्षा उत्पादन विभाग
6	रक्षा मंत्रालय
7	विदेश मंत्रालय
8	आर्थिक कार्य विभाग एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग
9	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
10	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
11	विधि और न्याय मंत्रालय
12	नीति आयोग
13	विद्युत मंत्रालय
14	इस्पात मंत्रालय
15	पोत परिवहन मंत्रालय
16	वस्त्र मंत्रालय
17	पंचायती राज मंत्रालय
18	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अनुलग्नक

"हिंदी सलाहकार समिति" के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3311के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

19	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
20	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
21	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
22	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
23	आवासन और शहरी विकास मंत्रालय
24	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
25	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
26	जनजातीय कार्य मंत्रालय
27	राज्य सभा सचिवालय

परिशिष्ट- नौ

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 143

विषय: "पत्तनों पर आव्रजन संबंधी सुविधाएँ" विषय से संबंधित दिनांक 29.03.2022 के अतारांकित प्रश्न सं. 4147 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

29 मार्च, 2022 को श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य ने गृह मंत्री से "पत्तनों पर आव्रजन संबंधी सुविधाएँ" विषय के संबंध में अतारांकित प्रश्न सं. 4147 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा गृह मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, गृह मंत्रालय ने दिनांक 09 मई, 2022 के का.ज्ञा. सं. 25022/12/2019-आईएमएम के माध्यम से निम्नवत बताया है:-

> "माननीय संसद सदस्य को इस मामले की वास्तविक स्थिति से पहले ही अवगत करा दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने के बाद, इस मामले में कोल्लम को प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में घोषित करने के लिए मंत्रालय आगे की कार्रवाई करेगा। अतः इस मंत्रालय द्वारा कोई आश्वासन या वादा नहीं किया गया है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न के बिन्दु (ङ) के उत्तर अर्थात् "केरल राज्य से उत्तर की प्रतीक्षा है" को ध्यान में रखते हुए, इस उत्तर को आश्वासन के रूप में माना गया है। इस संबंध में आगे बताया गया है कि इससे पहले भी माननीय संसद सदस्य ने माननीय गृह मंत्री को संबोधित पत्रों के माध्यम से इस मामले को उठाया है। माननीय संसद सदस्य को समुचित जवाब इस मंत्रालय के दिनांक 15.09.2021, 17.01.2022 और 04.04.2022 के अर्द्ध-शासकीय पत्रों माध्यम से पहले ही दिए जा चुके हैं।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने गृह मंत्री के अनुमोदन से इस आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक:- 16/08/2022
नई दिल्ली:

अनुलग्नक

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4147
दिनांक 29.03.2022/ 8 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

पत्तनों पर आव्रजन संबंधी सुविधाएं

†4147. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संविदात्मक संचालन के लिए पत्तनों का उपयोग और उनकी मौजूदा सुविधाओं का उपयोग सुनिश्र्चत करने के लिए पत्तनों का आव्रजन सुविधा को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कोल्लम पत्तन में आव्रजन की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और कोल्लम पत्तन में आव्रजन कार्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं और आधाभूत ढांचे संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने कोल्लम पत्तन में आव्रजन सुविधा खोलने के लिए आधारभूत ढांचे और इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के विकास की व्यवस्था करने के लिए केरल राज्य सरकार को उचित निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में राज्य सरकार के साथ क्या बातचीत की गई है; और

(ङ) क्या केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): जी हाँ, भारत सरकार उन बंदरगाहों पर आव्रजन सुविधाओं पर विचार करती है जो मानदंडों के अनुसार आव्रजन जांच चौकी बनने की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

(ख) से (घ): जहां तक, कोल्लम पत्तन को अधिकृत आव्रजन जांच चौकी (आईसीपी) घोषित किए जाने का संबंध है, केंद्र सरकार द्वारा पत्र दिनांक 04.07.2019 और उसके बाद के अनुस्मारक दिनांक 06.09.2019, 23.10.2020, 16.02.2021, 08.04.2021, 13.08.2021, 08.12.2021 और 15.02.2022 के माध्यम से केरल राज्य सरकार को अपेक्षित भौतिक अवसंरचना और मानवशक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। केरल राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अपेक्षित भौतिक अवसंरचना और मानवशक्ति की व्यवस्था किए जाने के बाद, इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मानवशक्ति और भौतिक बुनियादी ढांचे की अपेक्षित आवश्यकता अनुलग्नक-। पर है।

(ङ): केरल राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

****

(क) प्रदान की जाने वाली मानवशक्ति

i) 2 निरीक्षक समग्र प्रभारी के रूप में।
ii) 8 एसआई काउंटर ड्यूटी के लिए।
iii) 4 कांस्टेबल, काउंटर अधिकारियों को कतार बनाने, डी/ई कार्ड भरने आदि में सहायता करने के लिए।
कुल कर्मचारी = 14

(ख) स्थान/ बुनियादी ढांचा

i) काउंटरों की संख्या आगमन में 4 और प्रस्थान में 4 होगी। उच्च क्षमता वाले क्रूज/जहाज के संचालन के आधार पर काउंटरों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ेगी।
ii) 12' x 10' आकार का सर्वर और कंप्यूटर स्टाफ रूम।
iii) 15'x12' आकार के संलग्न शौचालय के साथ प्रवेश निषेध/प्रतिबंध कक्ष।
iv) 15'x12' आकार के आप्रवासन प्रभारी का कार्यालय ।
v) 20'x15' आकार के बैकरूम संचालन के लिए आप्रवास कार्यालय के लिए।
vi) 15'x15' आकार के प्रशिक्षण/आराम/बैठक आदि के लिए बहुउद्देश्यीय कक्ष।
vii) 10'x10' आकार का रिकॉर्ड रूम।
viii) 5'x8' आकार का यूपीएस कक्ष।
ix) आप्रवासन काउंटरों के सामने यात्रियों की कतार में लगने के लिए पर्याप्त स्थान।
x) आप्रवासन क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए शौचालय की सुविधा।
xi) उपरोक्त कार्यालयों के लिए फर्नीचर और अन्य फिटिंग हवाईअड्डा ऑपरेटर द्वारा उचित माहौल बनाए रखने के लिए प्रदान की जानी चाहिए।
xii) सर्वर रूम, सर्वर रूम से काउंटरों और प्रभारी आप्रवासन कार्यालय तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति।
xiii) प्रभारी कार्यालय बैक रूम कार्यालय, सर्वर रूम आदि में इंटरकॉम सुविधा।

(ग) आवास की आवश्यकता।

यह उल्लेख किया गया है कि बंदरगाहों पर तैनात अधिकांश आप्रवासन कर्मचारियों को शहर/कस्बा क्षेत्र में अपनी व्यवस्था पर रहना पड़ता है क्योंकि बीओआई के लिए कोई सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, उन्हें एक घंटे से अधिक (एक तरफ) यात्रा करने के लिए बंदरगाह से/सीपोर्ट तक आना-जाना पड़ता है। चूंकि, वे अलग-अलग इलाकों में रहते हैं, पिक एंड ड्रॉप सुविधा के लिए एक सामान्य परिवहन का आयोजन करना भी मुश्किल और समय लेने वाला हो जाता है। इसके अलावा, उन्हें रात की ड्यूटी भी करनी पड़ती है, जिससे उनका आना-जाना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए, बंदरगाह प्राधिकरणों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे बीओआई (बीओआई में स्वीकृत कर्मचारियों के 50% के बराबर) को एक केंद्रीय / सामान्य स्थान पर आवास प्रदान करें या तो इसका निर्माण करके या पट्टे पर आवास लें।

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 146

विषय: "एस सी और ओ बी सी समुदाय द्वारा भेदभाव का सामना करना" से संबंधित दिनांक 16.03.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 3426 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 16 मार्च 2021 को श्री कौशल किशोर और अन्य विभिन्न, संसद सदस्यों ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से अतारांकित प्रश्न सं. 3426 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिनांक 27 जून, 2022 के अपने का.ज्ञा. संख्या सीसी-16016/8/2021-कॉर्पोरेट सेल के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "इस मंत्रालय ने 16.03.2021 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3426 के उत्तर में तथ्यात्मक स्थिति प्रदान की है। 12.02.2021 को दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डी आई सी सी आई) से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त मसौदा रिपोर्ट के आधार पर उत्तर दिया गया था और इस मंत्रालय ने 16/03/2021 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3426 के उत्तर में सदन को कोई आश्वासन नहीं दिया था।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांक: 16/08/2022
नई दिल्ली

अनुबन्ध

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3426

उत्तर देने की तारीखः 16.03.2021

एससी और ओबीसी समुदाय द्वारा भेदभाव का सामना करना

3426. श्री कौशल किशोरः

श्री अर्जुन लाल मीणाः

श्री पी.पी. चौधरीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि भर्ती के बाद के चरणों के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (डीआईसीसीआई) की रिपोर्ट के प्रस्ताव पर विचार किया है कि प्रतिभागियों के धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि के ब्यौरे को सिविल सेवा और अन्य केंद्रीय या राज्य स्तर की परीक्षा में साक्षात्कार के समय उजागर नहीं किया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या एससी और ओबीसी समुदाय के कल्याण हेतु बजटीय आवंटन के उपयोग और कार्यान्वयन में कोई प्रणालीगत समस्या आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एससी और ओबीसी समुदाय के कल्याण हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति तथा बजटीय आवंटन के उपयोग की निगरानी के लिए मौजूदा निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याणार्थ न केवल सेवाओं में प्रारंभिक भर्ती के समय पर बल्कि तदनंतर नियुक्तियों के समय पर भी विभिन्न उपाय किए हैं। एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को प्रदत्त रियायतों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): इस विभाग में मसौदा रिपोर्ट दिनांक 12.02.2021 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है।

(ड.): सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय समावेशन के एक भाग के रूप में सरकार की कार्यनीति यह सुनिश्चित करने की है कि समाज के सभी वर्गों, विशेषत: अनुसूचित जातियों को लाभ मिले और उनके विकासार्थ पर्याप्त धनराशियां आवंटित की जाएं, एससी के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) की अवधारणा, जिसे पूर्व में एससी के कल्याणार्थ आवंटन या एससी उप-योजना के रूप में जाना जाता था, का कार्यान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि अनुसूचित जातियों को लक्षित वित्तीय और वास्तविक लाभ मिल सके। वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एससी घटक के अंतर्गत धनराशियों का पुनर्विनियोजन गैर-एससी शीर्षों में नहीं किया जा सकता है। नीति आयोग और इस विभाग ने एससी के लिए आशायित स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं। डीएपीएससी की निगरानी के लिए समुचित निगरानी तंत्र पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा, सभी स्कीमें/नीतियों के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करने के लिए विभिन्न समितियों के रूप में एक अंतर्निमित तंत्र भी है।

(च): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को नीति आयोग द्वारा, अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ धनराशियों की कतिपय प्रतिशतता का निर्धारण करके अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन क्षेत्रों में किए गए व्यय की आउट-कम आधारित निगरानी करने के लिए, नोडल मंत्रालय बनाया गया है। वर्ष 2017 में एक वेब एप्लिकेशन 'ई-उत्थान' विकसित किया गया था और इसका कार्यान्वयन पहचानशुदा केन्द्रीय क्षेत्र एवं केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। अनुसूचित जाति घटक के अंतर्गत जारी किए गए सभी वित्तीय आंकड़े दैनिक आधार पर पीएफएमएस के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

इसके अलावा, धनराशियों की निगरानी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोग प्रमाण पत्र सहित वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके और साथ ही संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ की गई समीक्षा बैठकों की रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है।

अनुबंध

दिनांक 16.03.2021 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 3426

केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लागू विभिन्न छूट/रियायतें।

(क) ग्रुप ए के भीतर प्रोन्नति में रियायत - जब चयन द्वारा पदोन्नति ग्रुप ए पोस्ट से ग्रुप ए पोस्ट तक की जाती है जिसमें 8700/- रूपए या उससे कम का ग्रेड-पे होता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, जो पदोन्नति के लिए विचार के क्षेत्र में वरिष्ठ हैं, ताकि रिक्तियों की संख्या के भीतर हो, जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, उस सूची में शामिल किया जाएगा बशर्ते उन्हें पदोन्नति के लिए अनफिट न समझा जाए।

(ख) प्रतिनियुक्ति और समावेशन द्वारा नियुक्ति के लिए विचार - जब भी मंत्रालय/विभाग/ संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय आदि को सार्वजनिक हित में, किसी पद पर या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग आदि के तहत उनके अधीन सेवा देने वाले अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का प्रस्ताव होता है तो उनके अधीन सेवारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के पात्र हैं, को भी इस तरह की प्रतिनियुक्ति के लिए अन्य योग्य कर्मचारियों के साथ विचार किया जाना चाहिए।

(ग) सीधी भर्ती में आयु में छूट - किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष और ओबीसी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।

(घ) पदोन्नति में आयु में छूट - जहां किसी सेवा/पद पर पदोन्नति के लिए 50 वर्ष से अधिक की ऊपरी आयु-सीमा निर्धारित नहीं है, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी। हालांकि, यह उन पदों पर लागू नहीं होगा जिनमें कठिन क्षेत्र के कर्तव्य हैं या परिचालन सुरक्षा के लिए हैं और अर्ध-सैनिक संगठनों के पद हैं।

(ड.) शुल्क में रियायत - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को किसी भी भर्ती परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

(च) सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुभव योग्यता की छूट - जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई भी पद विज्ञापित या रोजगार कार्यालय को सूचित किया जाता है, तो यह विशेष रूप से विज्ञापन/अनुरोध में उल्लेख किया जाना चाहिए कि, संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में भर्ती नियमों में यथा प्रदत्त अनुभव की अवधि में छूट दी जा सकती है। जहां किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अनुभव की कुछ अवधि एक आवश्यक

योग्यता के रूप में निर्धारित की जाती है, और जहां, संबंधित मंत्रालय/विभाग की राय में, अनुभव योग्यता की छूट दक्षता के साथ असंगत नहीं होगी, अनुभव की छूट के प्रावधान पर सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।

(छ) सीधी भर्ती में उपयुक्तता के मानक में छूट - सीधी भर्ती में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य मानक के आधार पर नहीं भरी जा सकती है, इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे में कमी करने के लिए शिथिल मानकों द्वारा लिया जाएगा, बशर्ते कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए ये उम्मीदवार योग्य हो।

(ज) विभागीय प्रतियोगी/अर्हक परीक्षाओं में मानकों में ढील - यदि विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या सामान्य मानक के आधार पर उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को भरने के लिए , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जिन्होंने सामान्य अर्हक मानक प्राप्त नहीं किया है, उनके बारे में भी पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसे पदोन्नति के लिए अयोग्य न पाए जाएं।

हालांकि, प्रोन्नति में आरक्षण का मुद्दा इस समय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष *जरनैल सिंह* (एसएलपी संख्या.30621/2011) के केस में न्यायाधीन है।

****

परिशिष्ट-ग्यारह

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

बारहवीं बैठक

(23.08.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1615 बजे तक समिति कमरा सं 3, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. प्रो. सौगत राय
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास	-	निदेशक
3. श्री कृष्ण सी. पाण्डेय	-	उप सचिव

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) 24 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से

प्राप्त अनुरोधों वाले 20 ज्ञापनों पर विचार करने; और (ii) लंबित आश्वासनों के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है।

2. तत्पश्चात, समिति ने 24 आश्वासनों वाले उक्त 20 ज्ञापनों (ज्ञापन संख्या 127 से 146 तक) से संबंधित आश्वासनों को छोड़ने या न छोड़ने हेतु विचारार्थ लिया। संक्षिप्त विचार-विमर्श के पश्चात समिति ने माननीय सभापति को शेष ज्ञापनों पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया। तत्पश्चात, सभापति ने निर्णय लिया कि अनुबंध-एक* में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14 आश्वासनों को छोड़ दिया जाए तथा अनुबंध-दो में दिए गए ब्यौरे के अनुसार शेष 10 आश्वासनों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासनों को पूरा करने हेतु कार्रवाई की जाए।

3.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
4.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
5.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
6.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
7.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

अनुबंध-दो

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) द्वारा दिनांक 23.08.2022 को आयोजित बैठक में न छोड़े गए आश्वासनों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं	ज्ञापन सं.	ता.प्र./अ.ता.प्र. सं. एवं दिनांक	मंत्रालय/विभाग	विषय	टिप्पणी
1.	128	अ.ता.प्र. सं. 2799 दिनांक 05.12.2019	युवा कार्यक्रम और खेल (खेल विभाग)	राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता-2011	खेल विभाग ने दिनांक 26.11.2019 के अपने आदेश के माध्यम से खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की समीक्षा करने और उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया ताकि सरकार और सभी हितधारकों के बीच समन्वय और पारदर्शिता तथा जवाबदेही की आवश्यकता और नेशनल स्पोर्टस फेडेरेशन (एनएसएफ) की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित हो सके। तत्पश्चात दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश पर रोक लगा दी है जिसके इस समिति का गठन किया गया था। मंत्रालय ने इस आश्वासन को इस आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है कि न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण समिति की सिफारिशों पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। आगे उन्होंने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011, जिसे नेशनल स्पोर्टस फेडेरेशन के कार्यकरण में सुशासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, वर्तमान में लागू है। समिति का मानना है कि यह मामला

					अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का है और इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इसे जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति इस मामले में की गई पहलों और हुई प्रगति से अवगत होना चाहती है।
2.	131	ता.प्र. सं. 420 दिनांक 24.03.2021	रेल	वड़सा-गढ़चिरौली रेल नेटवर्क	समिति नोट करती है कि महाराष्ट्र सरकार वड़सा-गढ़चिरौली नई रेल लाईन परियोजना की 50% लागत वहन करती है। परियोजना के लिए वन विभाग की स्वीकृति मिलने में अत्यधिक देरी हो रही है। राज्य वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के परामर्श से महंगे उपशमन उपायों का सुझाव दिया है, जिसके कारण परियोजना की लागत 860.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 1096 करोड़ रुपये हो गई है। महाराष्ट्र सरकार से परियोजना की संशोधित लागत के 50% को वहन करने की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है। अभी राज्य सरकार से पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। यह बताते हुए कि रेलवे ने अपनी ओर से कार्रवाई की है, भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की स्वीकृति के लिए आगे की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जानी है, जो रेलवे के नियंत्रण से बाहर है, रेल मंत्रालय ने आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है। मंत्रालय का यह तर्क ठोस नहीं है क्योंकि एक बार आश्वासन दिए जाने के बाद यह मंत्रालय का परम कर्तव्य है कि वह इसमें शामिल सभी एजेंसियों के साथ उचित योजना और समन्वय के साथ

					इसे पूरा करे। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह यथाशीघ्र अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने, वडसा-गढ़चिरौली परियोजना के निर्माण में तेजी लाने और आश्वासन को पूरा करने के लिए और अधिक ठोस और समन्वित प्रयास करे। समिति इस मामले में की गई पहलों और प्रगति से अवगत होना चाहती है।
3.	133	ता.प्र. सं. 110 दिनांक 09.02.2021	समाजिक न्याय और अधिकारिता (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)	दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण	समिति को सूचित किया गया है कि श्रम एवं अधिकारिता मंत्रालय से दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र (दिव्यांगजनों के लिए एनसीएससी) को समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) को अंतरित करने के प्रस्ताव की मंत्रिमंडल सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है और डीए के लिए एनसीएससी के विभाग को अंतरण की पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में इस मामले के संबंध में इस विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई लंबित नहीं है और इस प्रक्रिया में समय लग सकता है और इसलिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने आश्वासन छोड़ने का अनुरोध किया है। समिति का मानना है कि मंत्रालय की यह दलील ठोस नहीं है क्योंकि एक बार आश्वासन दिए जाने के बाद यह मंत्रालय का दायित्व है कि वह इससे संबंध सभी मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ उचित योजना और समन्वय कर इसे पूरा करे। इसलिए समिति चाहती है कि

					डीए के लिए एनसीएससी के शीघ्र अंतरण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ इस मामले को सक्रियता से उठाया जाए।
4.	134	(i) अ.ता.प्र. सं. 1243 दिनांक 09.02.2017 (ii) ता.प्र. सं. 314 दिनांक 23.03.2017	युवा कार्यक्रम और खेल (खेल विभाग)	(i) खेलकूद निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता (ii) स्वतंत्र खेलकूद विनियामक	समिति नोट करती है कि खेल विभाग ने दिनांक 26.11.2019 के अपने आदेश के माध्यम से खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता, 2017 के प्रारूप की समीक्षा करने और उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया ताकि सरकार और सभी हितधारकों के बीच समन्वय और पारदर्शिता एवं जवाबदेही की आवश्यकता और नेशनल स्पोर्टस फेडेरेशन (एनएसएफ) की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित हो सके। तत्पश्चात दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश पर रोक लगा दी है जिसके इस समिति का गठन किया गया था। मंत्रालय ने इस आश्वासन को इस आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है कि न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण समिति की सिफारिशों पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। आगे उन्होंने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011, वर्तमान में लागू है। समिति का मानना है कि यह मामला अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का है और इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इसे जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति इस मामले में की गई पहलों और हुई प्रगति से अवगत होना चाहती है।

5.	136	अ.ता.प्र. सं. 3047 दिनांक 06.08.2021	महिला और बाल विकास	लैंगिक हिंसा के पीड़ित	समिति का मानना है कि किसी आश्वासन को केवल इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि इसके कार्यान्वयन में काफी समय लगेगा जो आश्वासन को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक हो सकता है। समिति का मानना है कि दुनिया भर में 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना से लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित महिलाओं सहित परेशान भारतीय महिलाओं को बहुत मदद मिलेगी। समिति का मानना है कि इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया जाना चाहिए क्योंकि यह दुनिया भर में भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए समिति मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह इस मामले को उचित स्तर पर उठाने के लिए ठोस कार्रवाई करे और इन केन्द्रों को खोलने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें और आश्वासन को यथाशीघ्र कार्यान्वित करे।
6.	138	अ.ता.प्र. सं. 327 दिनांक 20.07.2021	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (पशुपालन और डेयरी विभाग)	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनयम 1960	समिति इस आधार पर मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन को छोड़ने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती है कि प्रश्न का उत्तर सही था और इस प्रश्न के माध्यम से कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। समिति का मानना है कि एक बार आश्वासन दिए जाने के बाद यह मंत्रालय का दायित्व है कि वह इसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुचाएँ। इस मामले में, मंत्रालय को अधिनियम की धारा 11 और धारा 38 के संशोधन के संबंध में हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना

					अपेक्षित है जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और अधिक कठोर दंड देकर अधिनियम के तहत अपराधों की संज्ञेयता को मान्यता देता है।
7.	139	अ.ता.प्र. सं. 3311 दिनांक 16.03.2021	गृह	हिन्दी सलाहकार समिति	समिति पाती है कि आश्वासन की पूर्ति के लिए 48 हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया गया है और 03 मंत्रालयों/विभागों ने भी जल्द से जल्द हिंदी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में पत्र भेजे हैं। इसलिए 56 में से 51 हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा, मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस विषय पर जल्द ही राजभाषा विभाग द्वारा कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इसलिए, कुल मिलाकर आश्वासन पूरा हो गया है। अतः, मंत्रालय को कार्यान्वयन रिपोर्ट को संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उसे सभा पटल पर रखा जा सके।
8.	143	अ.ता.प्र. सं. 4147 दिनांक 29.03.2022	गृह	पत्तनों पर आव्रजन संबंधी सुविधाएँ	मंत्रालय ने बताया है कि माननीय संसद सदस्य को इस मामले की वास्तविक स्थिति से पहले ही अवगत करा दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने के बाद, इस मामले में कोल्लम को प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में घोषित करने के लिए मंत्रालय आगे की कार्रवाई करेगा। उन्होंने आगे बताया है कि इससे पहले भी माननीय सदस्य ने इस मामले को उठाया है और

					माननीय सदस्य को पहले ही समुचित उत्तर दिए जा चुके हैं। समिति महसूस करती है कि कुल मिलाकर आश्वासन को पूरा कर दिया गया है। समिति चाहती है कि अपेक्षित कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत की जाए।
9.	146	अ.ता.प्र. सं. 3426 दिनांक 16.03.2021	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)	एस सी और ओ बी सी समुदाय द्वारा भेदभाव का सामना करना	मंत्रालय ने इस आधार पर आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है कि मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में तथ्यात्मक स्थिति बताई गई है और ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है जिसे आश्वासन समझा जाए। समिति मंत्रालय के इस तर्क को सिरे से खारिज करती है। इस मामले में मंत्रालय को भारतीय दलित चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रस्ताव और रिपोर्ट का विवरण और वर्तमान स्थिति तथा उसके परिणाम प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं। समिति चाहती है कि मंत्रालय इस मामले को जोरदार ढंग से उठाए और आश्वासन को उसके तार्किक समाधान तक ले जाए।

परिशिष्ट - बारह

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दूसरी बैठक

(20.12.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कमरा संख्या 216, (सभापति कक्ष), 'बी' ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री खगेन मुर्मु
5. श्री अशोक महादेवराव नेते
6. श्री एम.के. राघवन
7. श्री चन्द्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	संयुक्त सचिव
2. डॉ. (श्रीमती) सागरिका दास	निदेशक
3. श्री महेश चन्द गुप्ता	उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव	अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित पांच (05) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया:-

(एक) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय से

संबंधित प्रारूप 74वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(दो) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 75वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(तीन) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)' विषय से संबंधित प्रारूप 76वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(चार) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 77वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा); और

(पांच) 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप 78वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

2. समिति ने माननीय सभापति को चालू सत्र के दौरान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)* की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. प्रो. सौगत राय**
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पान्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम. सी. गुप्ता - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय के दिनांक 01 जून, 2022 को त्याग पत्र देने के कारण समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया, देखिए दिनांक 06 जून, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 4711